

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/6212

दिनांक - 21.07.25

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण


1.विशनाराम 2.बांकाराम 3. नानगाराम पिसरान गुमनाराम 4.चूनी पत्नी गुमनाराम जातियान जाट निवासीयान सांजटा हाल निवासी मूढणों की ढाणी, सरणू चिमनजी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

1.जीवणराम 2.मूलाराम 3.किशनाराम पिसरान तुलसाराम 4. दुगियों पत्नी उम्मेदाराम 5.अचली पुत्री उम्मेदाराम 6. भगवानाराम पुत्र राजूराम 7.भोमाराम पुत्र रामलाल 8.पपूराम पुत्र सताराम 9.कानू पत्नी सगराराम 10.नेनू पत्नी केसाराम 11.कंवराराम 12.धनाराम पिसरान भानाराम 13.गोसाईराम 14.विशनाराम 15.दलाराम 16.ठाकराराम पिसरान गुमनाराम 17.होली पत्नी गुमनाराम 18.गोधूराम 19.जसाराम पिसरान उमाराम 20.गंगा देवी पत्नी उमाराम 21.जूंजाराम पुत्र शेराराम जातियान जाट निवासीयान मूढणों की ढाणी, सरणू चिमनजी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 23. रतनसिंह 24.मोडसिंह 25.मलसिंह 26.तनसिंह पिसरान दौलतसिंह जातियान राजपूत निवासीयान मूढणों की ढाणी, सरणू चिमनजी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 27. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 77/2025 दिनांक- 10.07.2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मूढणों की ढाणी पटवार हल्का सरणू चिमनजी तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 420/80 रकबा 9.7124 हैक्टेयर, खसरा संख्या 77 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 417/80 रकबा 4.4515, खसरा संख्या 78 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा संख्या 79 रकबा 0.1214 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(वीरमा राम)


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/6213-16

दिनांक- 21.07.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरणू चिमनजी तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण विशनाराम पुत्र गुमनाराम जाति जाट निवासी मूढणों की ढाणी, सरणू चिमनजी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण जीवणराम पुत्र तुलसारा वगैरा जाति जाट निवासी मूढणों की ढाणी, सरणू चिमनजी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर